(वाद संख्या–4515/4/20/2020)

05.10.2021

प्रसंगाधीन मामले में मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरा, करौती, प्रखण्ड–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा के वर्त्तमान तथा पूर्व मुखिया द्वारा मनरेगा की राशि एवं सी0एस0पी0 के द्वारा अवैध रूप से निकासी किये जाने से संबंधित परिवादी संजीव कुमार यादव के परिवाद पत्र से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिलाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के प्रतिवेदनानुसार ‘‘अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज ने अपने कार्यालय पत्रांक–1325/सपत्र, दिनांक–07.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त मामले की जांच उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के पत्रांक–883, दिनांक–10.08.2020 के आलोक में पूर्व में ही तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मधेपुरा के द्वारा संयुक्त रूप से जांच किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने अपने कार्यालय पत्रांक–896, दिनांक–13.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मधेपुरा के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–3444 दिनांक–22.08.2020 के आलोक में पंचायत रोजगार सेवक तथा संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर को पदमुक्त कर दिया गया है साथ ही अन्य दोषी कर्मियों/पदाधिकारीयों यथा कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखापाल, कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक पर मृत व्यक्ति के नाम पर किये गये भुगतान के दो गुणा राशि मो0–65,184 (पैंसठ हजार एक सौ चौरासी) रूपये प्रत्येक कर्मी/पदाधिकारी पर अर्थ दण्ड लगाया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पर दो गुणा राशि–65,184 (पैंसठ हजार एक सौ चौरासी) रूपये आर्थिक दण्ड लगाया गया है तथा उनके विरूद्ध बिहार राज्य

पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।''

अब, जबकि परिवादी द्वारा उठाये गये बिन्दु की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले का निस्तारण किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवेदन (पृ0–27–10/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक